A

IN THE COURT OF Latika Deepak Parashar **Present Addl. Distt. & Sessions Judge No. 2, Rajgarh Churu)** [Date of the Judgment- 07.12.2024] [Case No- 01/2016, C.F. No- 02/16] C.N.R No- RJCH060000032016 (FIR No. 227/2015 PS Hamirwas Dist. Churu)	
Complainant	राजस्थान राज्य
PRESENTED BY	श्री सुनील बसेरा, अपर लोक अभियोजक
ACCUSED	1- **रेवंत सिंह उर्फ मिठू सिंह** पुत्र मालसिंह राजपूत उम्र 53 साल निवासी बालाण पुलिस थाना हमीरवास जिला चूरू 2- **नवीन सिंह** पुत्र रेवंत सिंह राजपूत उम्र 31 साल निवासी बालाण पुलिस थाना हमीरवास जिला चूरू 3- **रजनीश** पुत्र महेंद्र सिंह राजपूत निवासी बालाण पुलिस थाना हमीरवास जिला चूरू **(मफरूर दिनांक 29.10.24)**
REPRESENTED BY	श्री अशोक सिंह राठौड, अधिवक्ता

B

Date of Offence	17.09.2015
Date of FIR	18.09.2015
Date of Chargesheet	12.01.2016
Date of Framing of Charges	21.10.2024
Date of commencement of evidence	18.11.2024
Date on which judgment is reserved	07.12.2024
Date of the Judgement	07.12.2024
Date of the Sentencing Order, if any	07.12.2024 (Probation)

C: ACCUSED DETAILS

Rank of the	Name of Accused	Date of Arrest	Date of release on bail	Offences charged with	Whether acquitted or	Senten ce impose	Period of detentio

Accused					convicted	d	n undergone during trial for purpose of Section 428 Cr. PC
1	रेवंत सिंह उर्फ मिठू सिंह	15.11.15		148, 341, 323/149, 325/149 IPC	**Convicted**	4 P.O 5 P.O 7,000/-	----
				365/149, 308/149 IPC	**Acquitted**	----	
2	नवीन सिंह	15.11.15		148, 341, 323/149, 325/149 IPC	**Convicted**	4 P.O 5 P.O 7,000/-	----
				365/149, 308/149 IPC	**Acquitted**	----	

PART-II
LIST OF PROSECUTION/DEFENCE/COURT WITNESSES

A. Prosecution

Rank	Name	Nature of Evidence (Eye Witness, Police Witness, Expert Witness, Medical Witness, Panch Witness, Other Witness)
PW. 1	रामचंद्र	स्वतंत्र साक्षी
PW. 2	मुकेश कुमार	गिरफतारी/बरामदगी बाबत
PW. 3	संजय	पर्चा बयानकर्ता/आहत
PW. 4	राजेश	घटना बाबत
PW. 5	जयचंद	घटना बाबत
PW. 6	महावीर	घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी
PW. 7	सहदेव	स्वतंत्र साक्षी
PW. 8	शक्ति सिंह	स्वतंत्र साक्षी

PW. 9	महावीर पुत्र चंदगीराम	स्वतंत्र साक्षी
PW. 10	फूलचंद	आहत के पर्चा बयान लेखबद्धकर्ता
PW. 11	डॉ. नीरज सतीजा	आहत का ईलाजकर्ता
PW. 12	मदनलाल	अनुसंधान अधिकारी
PW. 13	सुरेंद्र कुमार	प्रथम अनुसंधान अधिकारी
PW. 14	रणसिंह	स्वतंत्र साक्षी
PW. 15	दलवीर	स्वतंत्र साक्षी
PW. 16	नत्थू सिंह	स्वतंत्र साक्षी
PW. 17	रमेश सिंह	स्वतंत्र साक्षी
PW. 18	हरपाल सिंह	मालखाना इंचार्ज
PW. 19	महिपाल	बरामदगी बाबत साक्षी

B. Defence Witnesses, If any:

Rank	Name	Nature of Evidence (Eye Witness, Police Witness, Expert Witness, Medical Witness, Panch Witness, Other Witness)
---	Nil	---

C. Court Witnesses, If any:

Rank	Name	Nature of Evidence (Eye Witness, Police Witness, Expert Witness, Medical Witness, Panch Witness, Other Witness)
---	Nil	---

LIST OF PROSECUTION/DEFENCE/COURT EXHIBITS

A. Prosecution:

Sr. No.	Exhibit Number	Description
1	Exhibit P-1	बयान रामचंद्र
2	Exhibit P-2	फर्द गिरफतारी मुलजिम रेवंत सिंह
3	Exhibit P-3	फर्द गिरफतारी मुलजिम नवीन
4	Exhibit P-4, 4 ए	फर्द बरामदगी एक बांस की लाठी

		मुलजिम रेवंत सिंह
5	Exhibit P-5	फर्द बरामदगी एक बांस की लाठी मुलजिम नवीन सिंह
6	Exhibit P-6, 6 ए	नक्शामौका व हालातमौक बरामदगी स्थल मुलजिम रेवंत सिंह
7	Exhibit P-7, 7 ए	नक्शामौका व हालातमौक बरामदगी स्थल मुलजिम नवीन सिंह
8	Exhibit P- 8	पर्चा बयान संजय
9	Exhibit P-9, 9 ए	नक्शामौका व हालातमौक घटनास्थल मार्क बी
10	Exhibit P-10	बयान सहदेव
11	Exhibit P-11	बयान शक्ति सिंह
12	Exhibit P- 12	बयान महावीर सिंह
13	Exhibit P-13	एफआईआर
14	Exhibit P-14	सतीजा अस्पताल से पुलिस को दी गयी सूचना
15	Exhibit P-15	आहत की एम.एल.सी रिपोर्ट
16	Exhibit P-16	एक्स-रे रिपोर्ट संजय
17	Exhibit P-17 से 20	एक्स-रे प्लेट
18	Exhibit P-21, 22	डिस्चार्ज प्रमाण पत्र
19	Exhibit P-23, 24	रोजनामचा
20	Exhibit P-25	धारा 27 भा०सा०अधि० की इतिला मुलजिम रेवंत सिंह
21	Exhibit P-26	धारा 27 भा०सा०अधि० की इतिला मुलजिम नवीन सिंह
22	Exhibit P-27	फर्द गिरफतारी मुलजिम रजनीश
23	Exhibit P-28	फर्द बरामदगी वजह सबूत बोलेरो
24	Exhibit P-29	धारा 133 एमवी एक्ट नोटिस
25	Exhibit P-30	वाहन बोलेरो की आर.सी
26	Exhibit P-31	बीमा पॉलिसी
27	Exhibit P-32	मालखाना रजिस्टर
28	Exhibit P-33, 34	चिट दस्तख्ती

29	Exhibit P-35	नमूनासील
30	Exhibit P-36, 36ए	नक्शामौका व हालातमौका घटनास्थल मार्क ए
31	Exhibit P-37	बयान रणसिंह
32	Exhibit P-38	बयान दलवीर
33	Exhibit P-39	बयान नत्थू सिंह
34	Exhibit P-40	बयान रमेश सिंह

B. Defence:

Sr. No.	Exhibit Number	Description
1	Exhibit D-1	धारा 161 सीआरपीसी बयान संजय
2	Exhibit D-2	धारा 161 सीआरपीसी बयान राजेश कुमार
3	Exhibit D-3	धारा 161 सीआरपीसी बयान जयचंद
4	Exhibit D-4	बयान महावीर

C. Court Exhibits:

Sr. No.	Exhibit Number	Description
----	Nil	---

D. Material Objects:

Sr. No.	Material Object Number	Description
1	M O 1	अभियुक्त रेवंत सिंह से जब्त एक लाठी
2	M O 2	अभियुक्त नवीन सिंह से जब्त एक लाठी

- निर्णय - दिनांक- **07.12.2024**

1- हस्तगत प्रकरण श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय जिला चूरू के आदेश क्रमांक 1(जी)(1)स्था./2018/213 दिनांक 05.10.2018 की अनुपालना में न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम संख्या 1 राजगढ

जिला चूरू से अन्तरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त होने पर दिनांक 30.10.2018 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

2- संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 18.09.2015 को परिवादी संजय पुत्र जयचंद निवासी भोजाण तत्समय जैर ईलाज सतीजा हेल्थ केयर हिसार ने एक पर्चा बयान प्रदर्शपी-8 फूलचंद एएसआई पीएस हमीरवास को इस आशय का दिया कि वह कल घरेलू कार्य से ठिगाना मण्डी गया हुआ था एवं ठिगाना मण्डी से मोटरसाइकिल के द्वारा उसके गांव वापिस आ रहा था। जब वह वक्त 03:30 बजे गुगलवा भोजाण के मध्य सडक आम पर पहुंचा तो सामने से एक बोलेरो डीआई गाडी बरंग सलेटी व एक बोलेरो पिकअप गाडी आई और उसके मोटरसाइकिल के आगे लगा दी। उसने उसकी मोटरसाइकिल रोकी तो दोनों गाडियों में से सानू राजपूत, लाली राजपूत, अजय निवासी बीराण, सानू का भतीजा व रेवंत सिंह उर्फ मिठू सिंह राजपूत, भोपाल सिंह राजपूत, नवीन राजपूत निवासी भोजाण तथा 3-4 अन्य नामालूम व्यक्ति गाडियों से नीचे उतरे। मिठू सिंह उर्फ रेवंत सिंह व लाली राजपूत ने उसके पिस्तौल लगा ली और उसे जबरदस्ती गाडी में डाल लिया एवं उसे जोहड हिंदावल रोही भोजाण ले आये तथा उसे गाडी से नीचे उतार लिया। मिठू सिंह उर्फ रेवंत सिंह ने बर्छी की उसके दोनों हाथों पर चोट मारी एवं बाद में सभी सरियों, लाठी, कुल्हाडी से उसके चोटें मारने लगे। उसने छुडाओ-छुडाओ का रोला किया, तब उनके गांव की कुम्हारों की औरतें आई तो लाली ने उसके दाहिने पैर के उपर से गाडी का टायर निकाल दिया तथा उसके 44,000 रूपये एवं दो मोबाईल जिनमें एक कार्बन व एक इन्टेकस आदि ले गये। उसने उसके भाई राजेश को समाचार किया, तब राजेश गाडी लेकर आया एवं उसे ईलाज हेतु हिसार ले गया। उसके दोनों पैर व हाथों पर चोटें लगी हैं तथा वह हाथ में चोट लगने के कारण हस्ताक्षर नहीं कर सकता....आदि।

3- उक्त पर्चा बयान (प्रदर्शपी-8) के आधार पर पुलिस थाना हमीरवास में प्राथमिकी संख्या 227/2015 (प्रदर्शपी-13) दर्ज की गई और बाद आवश्यक अनुसंधान अभियुक्तगण रेवंत सिंह उर्फ मिठू सिंह, नवीन सिंह व रजनीश के विरूद्ध अपराध धारा 308, 365, 323, 325, 341, 148, 149 भा0दं0सं0 में आरोप पत्र विचारण न्यायालय में पेश किया गया तथा विधि से संघर्षरत किशोर ईश्वर सिंह उर्फ कालिया के विरूद्ध उक्त धाराओं में आरोप पत्र किशोर न्याय बोर्ड चूरू में पेश किया गया एवं शेष अभियुक्त लाला उर्फ मनोज सिंह से अनुसंधान के अभाव में प्रकरण अंतर्गत धारा 173(8) सीआरपीसी के तहत लंबित रखा गया। तत्पश्चात बाद अनुसंधान विधि से संघर्षरत किशोर अभियुक्त लाला उर्फ मनोज सिंह के विरूद्ध भी

अपराध धारा 308, 365, 323, 325, 341, 148, 149 भा0दं0सं0 में आरोप पत्र किशोर न्याय बोर्ड चूरू में पेश किया गया। उक्त आरोप पत्र बाद प्रसंज्ञान उपार्पित होकर प्राप्त होने पर न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

4- इसके पश्चात न्यायालय द्वारा दिनांक 21.10.24 को बहस चार्ज सुनकर अभियुक्तगण रेवंत सिंह उर्फ मिठू सिंह व नवीन सिंह को अपराध धारा 148, 341, 365/149, 308/149, 323/149, 325/149 भा0दं0सं0 के आरोप पृथक से विरचित कर सुनाये व समझाये गये तो अभियुक्तगण ने आरोपित अपराध से इंकार कर अन्वीक्षा चाही। **वहीं अभियुक्त रजनीश के गिरफतारी के भय से न्यायालय से रूहपोश हो जाने की रिपोर्ट उसके गिरफतारी वारंट पर प्राप्त होने पर दिनांक 29.10.24 को न्यायालय के द्वारा उसे मफरूर घोषित किया गया।**

5- अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य में गवाह पी.ड.-1 लगायत पी.ड.-19 को परीक्षित करवाया गया और दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्शपी-1 लगायत प्रदर्शपी-40 दस्तावेज तथा आर्टिकल-1 व 2 प्रदर्शित करवाये।

6- अभियुक्तगण का परीक्षण अन्तर्गत धारा 313 दं.प्र.सं. किया गया, जिसमें उन्होंने उनके विरूद्ध आई अभियोजन साक्ष्य से इंकारी करते हुए अभियोजन साक्ष्य को गलत होना बताकर उन्हें झूठा फंसाना बताया। बचाव साक्ष्य पेश करना चाहा, जो बाद में पेश नहीं करना चाहने पर साक्ष्य सफाई बंद की गई, परंतु दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श-डी1 से प्रदर्श-डी4 बयानात को प्रदर्शित करवाया।

7- बहस अंतिम सुनी गयी। दौराने बहस विद्वान अपर लोक अभियोजक ने यह तर्क दिया कि आहत संजय के पर्चा बयान प्रदर्शपी-8 से तथा मौके पर आये दलबीर व राजेश के कथनों से घटना की पूर्णतया पुष्टि हो रही है। चिकित्सकीय साक्षी के कथनों से आहत के साथ अभियुक्तगण द्वारा कुंद हथियारों से मारपीट कर उसके गंभीर उपहतियां कारित करने का तथ्य साबित हो रहा है। हालांकि प्रकरण में किसी रेडियोग्राफर को पेश कर परीक्षित नहीं करवाया गया है परंतु चिकित्सक द्वारा तैयार की गई एम.एल.सी रिपोर्ट प्रदर्शपी-15 व एक्स रे प्लेट प्रदर्शपी-17 से 20 में वर्णितानुसार तथ्यों की पुष्टि चिकित्सक द्वारा करने से मारपीट किये जाने की पुष्टि हो रही है। प्रकरण में अभियुक्तगण जिस वाहन से मौके पर आये, उस वाहन को पुलिस द्वारा जब्त भी किया गया है और इसी तरह अभियुक्तगण द्वारा घटना में प्रयुक्त किये गये हथियार/अलामात की बरामदगी की गयी है। इसलिए पत्रावली पर उनके द्वारा प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध पूर्णतया साबित है, अतः अभियुक्तगण को आरोपित अपराध के तहत

दोषसिद्ध किए जाने का निवेदन किया।

8- इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण का यह तर्क रहा कि प्रकरण में परीक्षित अभियोजन के गवाहों के कथनों में गंभीर विरोधाभास है तथा स्वतंत्र गवाहान पक्षद्रोही घोषित हुए हैं, जिन्होंने अभियोजन कहानी का कोई समर्थन नहीं किया है। आहत का एक्स रे किये जाने के संबंध में किसी रेडियोग्राफर को न्यायालय में पेश कर परीक्षित नहीं करवाया गया है। अभियुक्तगण से कोई बरछी व कुल्हाडी पुलिस द्वारा बरामद नहीं की गयी है और ना ही उनसे प्रकरण में वर्णित बरामदगियां किसी प्रकार से साबित है और ना ही अभियुक्तगण की परिवादी पक्ष से कोई शिनाख्तगी परेड करवाई गई है। अभियुक्तगण के विरूद्ध यह झूठा प्रकरण दर्ज करवाया गया है, जबकि आहत संजय के कोई धारदार हथियार से कारित चोट नहीं है और इस संबंध में चिकित्सक ने भी आहत के किसी धारदार हथियार से चोट कारित होने के संबंध में अनभिज्ञता जाहिर की है। आहत स्वयं आपराधिक प्रवृति का रहा है, इसलिए अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं होता है। अतः अभियुक्तगण को दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया।

9- उभय पक्ष के तर्कों, तथ्यों पर मनन किया गया। पत्रावली एवं संबंधित विधि का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। न्यायालय के समक्ष अवधार्य बिन्दू यह है किः-

" क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 17.09.2015 को दोपहर करीब 03:30 पीएम पर सडक आम गुगलवा-भोजाण के मध्य दीगर मुलजिमान के साथ मिलकर आक्रामक आयुध लाठियों आदि से सुसज्जित होकर बल व हिंसा का प्रयोग करते हुए परिवादी संजय के प्रति बलवा कारित कर उसे अन्य जाने से निवारित कर उसका सदोष अवरोध व परिरोध करते हुए उसे जबरदस्ती बोलेरो पिकअप गाडी सं. एचआर 18 ए 1652 में डालकर उसका अपहरण किया एवं विधि विरूद्ध जमाव के सदस्य रहते हुए सामान्य उद्येश्य के अग्रसरण में प्रार्थी संजय के साथ लाठी, कुल्हाडी से मारपीट इस ज्ञान या आशय से कर व उसके दाहिने पैर के उपर से अभियुक्त लाली द्वारा गाडी का टायर निकाल कर ऐसी परिस्थितियों में गंभीर चोटें कारित की, जिससे यदि संजय की मृत्यु हो जाती तो अभियुक्तगण हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध के दोषी होते तथा अभियुक्तगण ने परिवादी संजय के साथ स्वेच्छया कुंदाला से मारपीट कर उसके हाथ व पैर की अस्थि भंग कर स्वेच्छया साधारण व गंभीर उपहतियां कारित की ?

यदि हां, तो अभियुक्तगण किस दण्ड से दण्डनीय होंगें ?

10- उक्त अवधार्य बिन्दू के निस्तारण हेतु अभियोजन पक्ष की तरफ से कुल **19 गवाहों** को परीक्षित करवाया गया है, जिनमें से प्रकरण के **मुख्य आहत/साक्षी पी0डी0-3 संजय** ने न्यायालय में यह साक्ष्य दी है कि दिनांक 17.09.2015 को वह डिगावा मंडी से उसके गांव मोटरसाईकिल से आ रहा था। जब वह गुगलवा व भोजाण के बीच पहुंचा तो सामने से स्लेटिया रंग की बोलेरो आयी, जिसने उसकी बाईक के टक्कर मारी। वह उसकी साईड में चल रहा था। टक्कर मारने से वह सडक पर नीचे गिर गया। नीचे गिरते ही बोलेरो में से नीचे उतरे सानू, लाली, मिटठू उर्फ रेवंत सिंह, नवीन, भोपालसिंह व तीन चार अन्य व्यक्ति थे। इनमें से लाली ने उसकी कनपटी पर पिस्तौल लगाया, सानू ने पीछे से रॉड से हमला किया। मिटठू ने बरछी से हाथ पर हमला किया और उसे पिटने लगे। वहां आस-पास के खेतों वाले लोग आये तो उन्होनें उसे जोर जबरदस्ती से जान से मारने की नियत से उसे गाडी में डाल लिया और उसे हिंदावल जोहडी में ले गये। वहां जाकर लाली ने उसके पैरों पर गाडी का पिछला टायर चढाकर खडी कर दी व उक्त लोगों ने उसे जान से मारने की नियत से उसके उपर हमला कर दिया। दोनों हाथ व दोनों पैर फ्रेक्चर कर दिये। उसका चाचा और गांव के खेतों के आस-पास के लोग वहां आ गये तो वे उसे छोडकर भाग गये। वहां पर कुम्हारों का घर पडता है, जिनके फोन से उसने उसके भाई को फोन किया, तब वह आया और उसे लेकर हिसार सतीजा अस्पताल लेकर गया। वह 16-17 दिन भर्ती रहा। सतीजा अस्पताल में दिनांक 18.09.15 को पुलिस आयी तथा उसके बयान लिये मिटठू ने उसके 44,000 रूपये व दो मोबाईल फोन छीन लिये थे। उसके पर्चा बयान प्रदर्श पी 8 है, जिस पर एक्स स्थान पर उसकी अंगूठा निशानी है, क्योंकि उसके उस समय हाथों पर चोट लगी हुई थी।

11- **प्रतिपरीक्षण** में गवाह ने कथन किया कि उसके अनगिनत चोटें आयी थी, जो पूरे शरीर पर आई थी। सबसे पहले उसे बहल अस्पताल में लेकर गये और उसके बाद हिसार अस्पताल लेकर गये। उसके सिर में कोई चोट नहीं लगी थी। उसके दोनों पैरों पर गाडी के टायर लाली ने चढा दिये थे। गाडी के टायर चढाने से पैर में चोटें लगी थी, फिर कहा कि टायर चढाने के बाद खडे होकर उसके रॉड भी मारी थी, जिससे दोनों पैर टूट गये थे। उसके हाथ पैरों के अलावा कान के पीछे एक छोटी चोट और आयी थी। **वहां जब उसे पहली बार मोटरसाईकिल से नीचे पटका था,** तब खेतों के तीन चार लोग आने बता रहा है, **उनमें से एक का नाम दलवीर पुत्र कर्मवीर था**, शेष का नाम वह नहीं बता सकता। **दलवीर उसके परिवार में काके का लडका भाई लगता है।** हिंदावली जोहडी में जब उसके साथ

मारपीट कर रहे थे, तब उनके गांव भोजाण की कुम्हारों की औरतें व कुम्हारों के आदमी बचाने के लिए आये थे। उनमें से वह एक सुल्तान के लडके का नाम जानता है, शेष का नाम नहीं जानता। यह सही है कि उसके पर्चा बयान प्रदर्श पी 8 में कुम्हारों की औरतें ही आना लिखा है, आदमी का आना नहीं लिखा है। उसके पुलिस बयान प्रदर्श डी1 के ए से बी हिस्से में लिखी महावीर व रामचंद्र के आने की बात सही लिखी है। **मारपीट करने वाले अंदाजन से कुल 10 आदमी थे, 13-14 भी हो सकते है।**

12- **पी0 डब्ल्यू 4 राजेश आहत का भाई है**, जिसने यह कथन किया कि वह गांव में ही रहता है और गांव में ही खेती करता है। दिनांक 17.09.2015 को वह उसके खेत में काम कर रहा था। समय करीब 4-5 बजे के बीच शाम को उसके पास दलवीर पुत्र कर्मवीर का फोन आया और उसे बताया कि भोजाण के रास्ते पर संजय को लाली, नवीन, रेवतं सिंह, भोपाल सिंह, सानू व 5-6 व्यक्ति और गाडी में डालकर हिंदावली जोहडी की तरफ ले गये। उसके बाद वह खेत से भागकर घर आया और उसके पिताजी को घटना बतायी। इतनी देर में उसके पास अज्ञात नंबर से फोन आया, जिसमें संजय बोल रहा था कि उसे हिंदावली जोहडी के पास मारपीट कर डाल गये है। वह और उसके पिताजी गांव की गोसाईयों की मदन की गाडी को लेकर हिदांवल जोहड पहुंचे तथा वहां जाकर देखा तो संजय के हाथ-पैर तोड रखे थे, काफी जगह चोटें मार रखी थी, संजय चिल्ला रहा था। महावीर व अन्य औरतें मौके पर खडी थी। उसके बाद उसने व उसके पिताजी ने संजय को गाडी में डालकर बहल अजीत अस्पताल में ले गये। वहां डॉक्टर ने एक सुई लगायी व ईलाज किया एवं उसके बाद हिसार के लिए रैफर कर दिया। हिसार में संजय का लगभग 15 दिन तक सतीजा अस्पताल में ईलाज चला। उसके पुलिस में बयान हुए थे। पुलिस दिनांक 19.09.2015 को घटनास्थल पर गयी थी। पुलिस ने घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया था। वहां पर दो चार व्यक्ति और थे। नक्शामौका घटनास्थल मार्क बी प्रदर्श पी 9 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है।

13- **प्रतिपरीक्षण** में गवाह ने कथन किया कि **उसने मारपीट करते हुए किसी को नहीं देखा और ना ही संजय को उठाकर ले जाते हुए देखा।** जब वे संजय के पास सर्वप्रथम पहुंचे तो वहां महावीर के अलावा 3-4 औरतें ओर खडी थी, जिन्हें वह नहीं जानता परंतु उनका घर वहीं पर था। दलवीर का फोन आने के आधे घंटे बाद वे संजय के पास मौके पर पहुंच गये थे। संजय ने उसे यह नहीं बताया कि किस मुलजिम ने किस हथियार से कौनसी जगह चोट मारी। उसके व उसके पिताजी के अलावा संजय के साथ अस्पताल में कोई नहीं था।

14- **पी0डब्ल्यू 5 जयचंद आहत का पिता है,** जिसने यह कथन किया है कि करीब 9-10 साल पहले उसके बडे लडके राजेश ने बताया कि संजय को बास भरींड व भोजाण के बीच से उठाकर हिदांवल जोहडी में ले गये, जहां उसके साथ मारपीट की। मारपीट करने वालों में रेवंत सिंह, नवीन, भोपाल सिंह, सोनू, लाली व चार पांच लोग थे। यह सुनने के बाद वह व उसका लडका राजेश वहां गये और संजय को उठाकर ईलाज के लिए बहल अस्पताल ले गये। बहल से फिर हिसार ले गये। उसके पुलिस में बयान हुए थे। **प्रतिपरीक्षण** में गवाह ने कथन किया कि जैसे ही उसके लडके राजेश ने घटना के बारे में बताया तो वे 15-20 मिनट में वहां पहुंच गये। जब वे वहां पहुंचे तो वहां कोई आदमी नहीं था, दो तीन औरतें खडी थी, जो कुम्हारों की उनके गांव की थी। वे वहीं पर खेतों में रहती है। उन्होंनें पानी पिलाया। मौके पर रामचंद्र नहीं खडा था, उसने नहीं देखा। पुलिस में 4-5 दिन बाद उसके बयान हुए। उसके पुलिस बयान प्रदर्श डी3 में उसने मौके पर रामचंद्र जाट का खडा होना लिखवाया होगा, उसे याद नहीं है। उसे संजय ने बता दिया था कि कौन कौन से मुलजिम ने, कहां कहां पर, किस किस हथियार से मारी है। संजय ने बताया कि नवीन के पास बरछी और अन्य के पास लोहे के सरिये थे और उसके पैरों पर गाडी चढा दी। सोनू ने उपर पैर करके झटका मारा, जिससे उसके दोनों पैर टूट गये। रेंवत सिंह के पास पिस्तौल था, जिसने पिस्तोल लगाकर ही संजय को उठाया था।

15- **पी0डब्ल्यू 6 महावीर पुत्र लालचंद घटना का स्वतंत्र साक्षी है,** जिसने यह साक्ष्य दी है कि करीब 9-10 साल पुरानी बात है। वह भरींड से बिराण जा रहा था। उसने शोर सुना तो वह जोहडी की तरफ गया। उसने देखा वहां दो गाडियां खडी थी। वहां पर नवीन, रेवतं, भोपाल सिंह, लाली आदि तीन चार लोग और संजय को हॉकी व लकडियों के साथ मार रहे थे। वह पास गया तो वे लोग भाग गये। उसने उनके हाथ में बरछी, लोहे का हाथ में देखा था। फिर राजेश व जयचंद आ गये और उसे गाडी में डालकर अस्पताल ले गये। वह तो गांव में आ गया। **प्रतिपरीक्षण** में गवाह ने कथन किया कि वहां पर वह गया तो मारपीट करने वालों के अलावा 4-5 आदमी ओर खडे थे, कोई औरत नहीं खडी थी, फिर खुद कहा कि उसने नहीं देखी। वह अकेला ही गया था, उसके साथ ओर कोई नहीं था। उसके पुलिस बयान प्रदर्श डी4 पर ए से बी स्थान पर लिखी बात कि वह तथा रामचंद्र भैंस देखने जा रहे थे, गलत लिखा है। इसी बयान में सी से डी स्थान पर एक गाडी मौके पर खडी होने की बात भी गलत लिखी है, फिर कहा कि वहां दो गाडियां थी। उसने 30-40 मीटर दूरी से ही शोर सुन लिया था। वह संजय के साथ अस्पताल नहीं गया। वे शोर सुनने के बाद ही रास्ता छोडकर उधर शोर की तरफ गये। जब

आवाज सुनाई दी, तब उन्होंने कुछ नहीं देखा। उसे देखते ही वे लोग वहां से गाडी में बैठकर चले गये। उसके अलावा संजय को किसी ने नहीं संभाला और ना ही किसी ने पानी पिलाया। उसके मौके पर पहुंचने के 5-7 मिनट बाद उसका भाई जयचंद व उसका लडका राजेश मौके पर पहुंच गये थे। उसने किसी के पास पिस्तौल नहीं देखी। संजय मौके पर बेहोश नहीं था।

16- **पी0डब्ल्यू 10 फूलचंद आहत के पर्चा बयान लेखबद्ध करने वाला साक्षी है,** जिसने यह साक्ष्य दी है कि दिनांक 18.09.2015 को वह एएसआई के पद पर हमीरवास में तैनात था। उस रोज एसएचओ ने उसे आदेश दिया कि एक मजरूब सतीजा हेल्थ केयर हिसार में भर्ती है। पर्चा बयान लेकर आए, जिस पर वह हिसार पहुंचा और अस्पताल सतीजा हेल्थ केयर के आईसीयू में भर्ती/जैर ईलाज संजय के पर्चा बयान लिये, जो प्रदर्श पी 8 है, जिस पर एक्स स्थान पर संजय मजरूब की अंगूठा निशानी है तथा ए से बी स्थान पर कार्यवाही पुलिस का उसके द्वारा अंकन, सी से डी उसके हस्ताक्षर है। कार्यवाही पुलिस में मजरूब के लगी चोटों का नजरी मुलायजा किया तो हाथों व दोनों पैरों पर घुटनों से नीचे पटटी बंधी हुई थी, जिन पर अस्पताल की सफेद पटटी बंधी हुई थी। थाना पहुचंकर मूल बयान एसएचओ को पेष किये, जिस पर इ से एफ उसके हस्ताक्षर है। चाक एफआईआर प्रदर्श पी 13 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। **प्रतिपरीक्षण** में गवाह ने कथन किया कि प्रदर्शपी-8 उसकी स्वयं की कलमी है। उसने जब पर्चा बयान लिये, उस समय उसके परिवारजन व सरकारी कर्मचारी मौजूद थे या नहीं, उसे नहीं पता। उस समय अस्पताल के कर्मचारी हो सकते थे। यह सही है कि पर्चा बयान पर उसने संजय के अलावा किसी अन्य के हस्ताक्षर नहीं करवाये।

17- **पी0डब्ल्यू 2 मुकेश कुमार अभियुक्तगण की गिरफतारी व उनसे हुई बरामदगी के संबंध में** परीक्षित हुआ है, जिसने यह कथन किया कि दिनांक 15.11.2015 को वह पुलिस थाना हमीरवास में एफसी के पद पर तैनात था। उस रोज मुकदमा नं0 227/15 में अनुसंधान अधिकारी मदनलाल विश्नोई ने मुलजिम रेवंत सिंह उर्फ मिटठू सिंह व मुलजिम नवीन सिंह को उनके गावं घर भोजाण से गिरफतार किया था। फर्द गिरफतारी मुलजिम रेवंत सिंह उर्फ मिठू सिंह व मुलजिम नवीन सिंह क्रमशः प्रदर्श पी 2 व 3 है, जिन पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। दिनांक 17.11.2015 को मुलजिम रेंवत सिंह व नवीन सिंह की धारा 27 साक्ष्य अधिनियम के मुताबिक अनुसंधान अधिकारी द्वारा मुलजिमान के घर से एक एक बांस की लाठी जरिये फर्द बरामद की गयी थी, जो फर्द बरामदगी क्रमशः मुलजिम रेवंत सिंह व मुलजिम नवीन सिंह प्रदर्श पी 4 व 5 है, जिन पर ए से बी स्थानों

पर उसके हस्ताक्षर है। बरामदगी स्थल का नक्शा मौका भी उसके सामने अलग अलग तैयार किया था, जो क्रमशः प्रदर्श पी 6 व 7 है, जिन पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। **प्रतिपरीक्षण** में गवाह ने कथन किया कि मुलजिम नवीन व रैंवत सिंह की गिरफतारी थाने पर नहीं हुई बल्कि उनके घर पर हुई थी। प्रदर्श पी 2 व 3 उनके घर पर ही तैयार कर ली थी। प्रदर्श पी 4 व 5 एक ही दिन एक साथ ही तैयार की थी। दोनों के दरवाजा नहीं थे बल्कि खुले थे और घर के कोने में बने हुए थे। नवीन व रेवंत सिंह के अलावा उनके घर का कोई भी व्यक्ति बरामदगी स्थल पर आ-जा सकता था। उसे याद नहीं है कि प्रदर्श पी 4 व 5 में बरामदशुदा लाठी पर खून के धब्बे आदि आलामात लगे हुए थे या नहीं। दोनों लाठियां बासं की थी एवं उनकी लंबाई लगभग 2-2.5 फुट के आस-पास थी। उसे नहीं पता कि ऐसी लाठियां सामान्यतया खेती वाले घरों में मिल जाती हो।

18- **पी0 डब्ल्यू. 19 महिपाल अभियुक्तगण से हुई फर्द बरामदगी का साक्षी है,** जिसने यह कथन किया कि दिनांक 17.11.2015 को वह पुलिस थाना हमीरवास में एफसी के पद पर पदस्थापित था। उस रोज अनुसंधान अधिकारी श्री मदनलाल बिश्नोई के साथ वह, मुकेश कुमार एफसी व मुलजिम रेवंत सिंह उर्फ मिठू सिंह व नवीन सिंह के साथ मौजा भोजाण घर आरोपीगण के गए थे। मुलजिम रेवंत सिंह उर्फ मिठू की ईतला के मुताबिक मुलजिम ने उसके रिहायशी मकान में बने तूडी के छपरा से एक बांस की लाठी एसएचओ को पेश की। जिसकी मौके पर फर्द बरामदगी एक बांस की लाठी प्रदर्श पी 4 तैयार की तथा बरामदगी स्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी 6 है, जिन पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। मुलजिम नवीन सिंह की ईतला के मुताबिक मुलजिम ने उसके रिहायशी मकान में बने तूडी के छपरा से एक बांस की लाठी एसएचओ को पेश की। जिसकी मौके पर फर्द बरामदगी एक बांस की लाठी प्रदर्श पी 5 तैयार की तथा बरामदगी स्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी 7 बनाया, जिन पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। **प्रतिपरीक्षण** में गवाह ने कथन किया कि यह सही है कि नवीन सिंह व रेवंत सिंह ने उसके सामने किसी प्रकार की कोई ईतला नहीं दी थी। नवीन सिंह व रेवंत सिंह के घर पर उनके घर वाले रह रहे थे। मौके पर मुकेश ने लिखापढी की थी, उसने नहीं की। उसने मौके पर दो हस्ताक्षर तो फर्द बरामदगियों पर व दो हस्ताक्षर नक्षा बरामदगियों पर किए थे। इसके अलावा मौके पर उसने कोई हस्ताक्षर नहीं किए थे। थानेदार ने रेवंत सिंह व नवीन सिंह के घर के आगे मोमबत्ती जलायी थी। सफेद थैलियां गाडी में एसएचओ के पास थी। बरामदगी स्थल पर तूडा नहीं था।

19- **पी0 डब्ल्यू 18 हरपाल सिंह प्रकरण का तत्कालीन मालखाना**

इंचार्ज है, जिसने यह साक्ष्य दी है कि दिनांक 15.11.2015 को वह पुलिस थाना हमीरवास में कांस्टेबल के पद पर तैनात था। उस रोज मुकदमा नंबर 227/15 में अनुसंधान अधिकारी श्री मदनलाल बिश्नोई ने मुलजिम रेवंत उर्फ मिठू सिंह को उसके सामने जरिये फर्द प्रदर्श पी 2 गिरफतार किया था, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। उसी रोज मुलजिम नवीन सिंह को भी जरिये फर्द प्रदर्श पी 3 गिरफतार किया, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। दिनांक 17.11.2015 को मालखाना इंचार्ज सुमेर सिंह एचसी अवकाश पर होने के कारण उस रोज उसके पास मालखाना का चार्ज था। उस रोज अनुसंधान अधिकारी श्री मदनलाल बिश्नोई मुकदमा नंबर 227/15 का वजह सबूत मालखाना में जमा करवाया था, जिसका इंद्राज उसने क्रम 379/15 पर निम्न किए थे- 1. कपडे की थैली सील्डशुदा मार्क ए जिसमें एक बांस की लकडी लंबाई करीब 2 फुट 11 इंच अजाने मुलजिम रेवंत सिंह। 2. कपडे की थैली सील्डाशुदा मार्क बी जिसमें एक बांस की लकडी लंबाई करीब 2 फुट 7 इंच अजाने मुलजिम नवीन सिंह। 3. एक बोलेरो गाडी नंबर एचआर 18 ए 1652 अजाने मुलजिम रजनीश। 4. कपडे की थैली सील्डाशुदा मार्क सी जिसमें एक बांस की लाठी लंबाई करीब 3 फुट 1 इंच अजाने मुलजिम ईश्वर सिंह उर्फ कालिया। मूल मालखाना रजिस्टर प्रदर्श पी 32 है, जिस पर ए से बी स्थान पर वजह सबूत दर्ज करने का अंकन है। उक्त वजह सबूत को मूल मालखाना रजिस्टर में इंद्राज कर सील्ड व सुरक्षित मालखाना में रखवाए। **प्रतिपरीक्षण** में गवाह ने कथन किया कि प्रदर्शपी-32 व 32ए का ए से बी हिस्सा एक ही समय का दिनांक 17.11.15 का लिखा हुआ है। ए से बी हिस्सा लिखा, उस समय उसमें दर्ज वजह सबूत जमा हो चुके थे। प्रदर्शपी-32 में दर्ज वजह सबूत दिनांक 17.11.15 को करीब 3 पीएम पर उसे संभलाये थे।

20- **पी0डब्ल्यू. 11 डॉ नीरज सतीजा आहत का ईलाज करने वाला चिकित्सक है,** जिसने यह कथन किया है कि वह दिनांक 17.09.2015 को सतीजा अस्पताल हिसार में आर्थोपेडिक सर्जन के पद पर कार्यरत था। रात को 10 बजे मरीज संजय पुत्र जयचंद उम्र 24 साल निवासी भोजाण तहसील राजगढ चूरू को देखा व अस्पताल में भर्ती किया, जिसे लडाई में चोटें लगी थी। मरीज ने बताया कि दिनांक 17.09.2015 को वीपीओ भोजाण में उसके साथ मारपीट हुई है। इस मारपीट से उसको टांग दोनों व दोनों कलाइयों पर चोट लगी। इन सारी चोटों का उसने उसकी एमएलआर नं0 एनएस/एसएच/23/2015 दिनांक 17.09.2015 में वर्णन किया हुआ है। इसके बाद उसने एक्सरे रिपोर्ट बनायी, जिसमें लेफट फिबूला व राईट बाथ बोन, लेफट अलना टुटी हुई लिखी हुई है। उसने इसका इलाज किया व

ऑपरेशन किया। मरीज दिनांक 17.09.2015 को भर्ती हुआ और उसकी छुटटी दिनांक 01.10.2015 को की गयी। एमएलआर में चार चोटों का वर्णन है। चारों में एक्सरे एडवाइज किया। पुलिस को दिया गया रूका सूचना पत्र प्रदर्श पी 14 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर व सी से डी पुलिस मुलाजमान के हस्ताक्षर है। एमएलसी रिपोर्ट प्रदर्श पी 15 है, जिस पर ए से बी मरीज के पहचान चिन्ह व सी से डी चोटों का वर्णन, ई से एफ पुलिस मुलाजमान के व जी से एच मरीज संजय के व आई से जे मरीज के भतीजा सोमवीर के तथा के से एल उसके हस्ताक्षर है। एक्सरे कवर नोट प्रदर्श पी 16 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। एक्सरे प्लेट क्रमशः प्रदर्श पी 17 से प्रदर्श पी 20 है। डिस्चार्ज सटिफिकेट प्रदर्श पी 21 है व 22 है। मरीज दिनांक 01.1.2015 को उसके अस्पताल में भर्ती रहा था तथा दूसरी बार दिनांक 24.10.2015 से 27.10.2015 तक भर्ती रहा।

21- **प्रतिपरीक्षण** में गवाह ने कथन किया कि प्रदर्शपी-17 से 20 एक्स-रे प्लेट उसकी तैयार नहीं की हुई परंतु उसके निर्देशन में उसके स्टाफ द्वारा तैयार की हुई है। **एम.एल.सी प्रदर्शपी-15 में चोट सं. 1 से 4 में यह कहीं दर्ज नहीं है कि उक्त चोटें साधारण प्रकृति की है या गंभीर प्रकृति की तथा इसमें यह भी नहीं लिखा हुआ कि उक्त चोटें कुंदाला से कारित है या धारदार हथियार से कारित की हुई है। यह सही है कि चोटों की प्रकृति के संबंध में कोई राय पत्रावली पर नहीं है।** यह सही है कि प्रदर्शपी-15 पर पहले दिनांक 21.08.15 लिखी हुई है, जिसे काटकर 17.09.15 की गयी है। प्रदर्शपी-16 एक्स-रे रिपोर्ट लेने बाबत या इंजरी रिपोर्ट लेने बाबत पुलिस द्वारा उसे कोई पत्र दिया गया या नहीं, उसे याद नहीं है। प्रदर्शपी-15 में जिस चोट का वर्णन किया गया है, वह मजरूब संजय ही था, इस बाबत उसने आहत की पहचान किसी व्यक्ति से नहीं करवाई।

22- **पी0 डब्ल्यू. 13 सुरेन्द्र कुमार प्रकरण का प्रथम अनुसंधान अधिकारी है,** जिसने यह साक्ष्य दी है कि दिनांक 18.09.2015 को वह एसपी के पद पर हमीरवास थाना में तैनात था। उस रोज एसएचओ साहब के आदेशानुसार प्रकरण सं. 227/15 का अनुसंधान उसे सुपुर्द किया गया। दौराने अनुसंधान घटनास्थल पर पहुचंकर नक्शा मौका मार्क ए मुरतिब कर शामिल पत्रावली किया। नक्शा मौका घटनास्थल मार्क ए प्रदर्श पी 36 तथा हालात मौका प्रदर्श पी 36ए है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। इसके बाद मजरूब को उठाकर मार्क ए से बी स्थान पर रोही बिराण में ले गये थे, जिसका उसने राजेश कुमार की निशानदेही पर घटनास्थल पर पहुचंकर नक्शा मौका मार्क बी तैयार किया था, जो प्रदर्श पी 9 है, जिस पर ए से बी चश्मदीद गवाह के व सी से डी व ई से एफ गवाहान के हस्ताक्षर

है व जी से एच उसके हस्ताक्षर है। उक्त घटनास्थल का हालात मौका प्रदर्श पी 9ए है, जिस पर ए से बी स्थान पर उसके हस्ताक्षर है। उसके उपरांत गवाहान संजय कुमार, राजेश कुमार, जयचंद, कर्मवीर, महावीर, रामचंद्र, दलवीर के बयान उनके बोले अनुसार लेखबद्ध कर शामिल पत्रावली किये गये। इसके बाद उसका स्थानांतरण हो जाने के उपरांत आगामी अनुसंधान हेतु एसएचओ साहब को पत्रावली सुपुर्द कर दी।

23- **प्रतिपरीक्षण** में गवाह ने कथन किया कि उसे गवाह राजेश व जयचंद ने बताया कि दलबीर मौके पर था। राजेश कुमार के बयानों में यह कहीं नहीं लिखा कि दलबीर ने घटना देखी हो, फिर कहा कि दलबीर द्वारा राजेश को फोन करना लिखा हुआ है। **वह जब प्रदर्शपी-36 में दर्ज घटनास्थल पर जाना बता रहा है, वहां उसे किसी प्रकार के घटना से संबंधित अलामात नहीं मिले।** यह सही है कि हालातमौका प्रदर्शपी-36ए में यह नहीं लिखा गया कि प्रदर्शपी-36 में दिखाये गये लाल रंग के तीर के निशान किस बात को इंगित करते हैं। **प्रदर्शपी-9 के अनुसार भी घटनास्थल से किसी प्रकार के अलामात नहीं मिले, ना ही वहां कोई खून गिरा हुआ था, ना ही किसी प्रकार की गाडियों के निशान थे और ना ही जुतों या चप्पलों के निशान थे।** यह सही है कि वह मौके पर गया हो, इस बाबत आमद रवानगी पत्रावली पर नहीं है।

24- **पी0डब्ल्यू. 12 मदनलाल प्रकरण का मुख्य अनुसंधान अधिकारी है,** जिसने यह साक्ष्य दी है कि वह दिनांक 18.09.2015 को पुलिस थाना हमीरवास में थानाधिकारी के पद पर पदस्थापित था। उस रोज उसके अधीनस्थ कार्यरत फूलंचद एएसआई को वास्ते लेने पर्चा बयान मजरूब संजय निवासी भोजाण के सतीजा अस्पताल हिसार रवाना किया था, जिस पर श्री फूलचंद एएसआई ने संजय के पर्चा बयान प्रदर्श पी 8 लेखबद्ध कर हाजिर थाना आकर उसके समक्ष पेश किये गये। जिस पर उसके द्वारा जी से एच स्थान पर कायमी मुकदमा का पृष्ठांकन कर मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान सुरेन्द्र कुमार एसआई के सुपुर्द किया था। प्रदर्श पी 8 पर आई से जे उसके तथा ई से एफ फूलचंद एएसआई के हस्ताक्षर है। चाक एफआईआर प्रदर्श पी 13 है, जिस पर ए से बी फूलचंद तथा सी से डी उसके हस्ताक्षर है। फूलचंद एएसआई की वास्ते लेने पर्चा बयान थाना से रवानगी व वापसी बाबत रोजनामचा आम की प्रमाणित प्रतियां प्रदर्श पी 23 व 24 है, जिन पर ए से बी उसके प्रमाणीकरण के हस्ताक्षर है। तत्पश्चात सुरेन्द्र कुमार एसआई का स्थानांतरण अन्यत्र हो जाने पर मुकदमा का अनुसंधान उसके द्वारा शुरू किया गया। दौराने अनुसंधान गवाहान शक्ति सिंह, रणसिंह, सहदेव, नत्थू सिंह, महावीर व रमेश

के बयान उनके बोले अनुसार लेखबद्ध कर शामिल पत्रावली किये। मजरूब संजय कुमार के सतीजा अस्पताल से ईलाज संबंधी कागजात व एमएलसी क्रमशः प्रदर्श पी 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 हासिल कर शामिल पत्रावली किये गये। अनुसंधान से मुलजिम रेवतं सिंह उर्फ मिठू सिंह व नवीन सिंह के विरूद्ध जुर्म प्रमाणित पाये जाने से क्रमशः जरिये फर्द गिरफतारी प्रदर्श पी 2 व 3 से गिरफतार किया गया। मुलजिम रेवतं सिंह उर्फ मिठू सिंह द्वारा दी गयी इतला अंतर्गत धारा 27 साक्ष्य अधिनियम कि उसने एक लाठी उसके घर के अंदर बनी छाड में छुपा रखी है, मुर्तिब की गयी, जो प्रदर्श पी 25 है, जिस पर ए से बी मुलजिम रेवतं सिंह तथा सी से डी उसके हस्ताक्षर है। उक्त इतला की तस्दीक वह मुलजिम रेवंत सिंह ने आगे आगे चलकर उसके रिहायशी मकान मौजा भोजाण में बनी छांद में से एक बांस की लाठी निकाल कर उसके समक्ष पेश की। जिसे जरिये फर्द बरामदगी प्रदर्श पी 4 जप्त किया जाकर एक सफेद कपडे की थैली में डालकर सील मोहर किया गया था। बरामदगी स्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी 6 व हालात मौका प्रदर्श पी 6ए बनाया गया, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। मुलजिम नवीन सिंह द्वारा दी गयी इतला अंतर्गत धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की उसने एक लाठी उसके घर में बने ढारा में छुपा रखी है, लेखबद्ध की गयी, जो प्रदर्श पी 26 है, जिस पर ए से बी नवीन सिंह व सी से डी उसके हस्ताक्षर है। उक्त इतला की तस्दीक में आरोपी नवीन सिंह ने आगे आगे चलकर उसके रिहायशी मकान गांव भोजाण में बने ढारा में से एक बांस की लाठी निकालकर पेश की। जिसे जरिये फर्द बरामगदी प्रदर्श पी 5 से जप्त किया जाकर एक सफेद कपडा की थैली में डालकर मौका पर ही सील मोहर किया गया था।

25- **आगे पी0डी0 12 मदनलाल** ने यह साक्ष्य दी है कि बरामदगी स्थल द्वारा मुलजिम नवीन सिंह का नक्शा मौका प्रदर्श पी 7 व हालात मौका प्रदर्श पी 7ए बनाया गया, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। प्रदर्श पी 4 पर एक्स स्थान पर नमूना सील का अंकन है। मुलजिम रजनीश के विरूद्ध जुर्म प्रमाणित पाये जाने पर जरिये फर्द गिरफतारी प्रदर्श पी 27 से गिरफतार किया गया। घटना में प्रयुक्त जेट सवारी वाहन बोलेरो गाडी एचआर 13 ए 1652 आरोपी रजनीश ने उसके परिचित संतु सिंह के मार्फत मंगवाकर थाना में पेश की, जिसे जरिये फर्द जप्ती प्रदर्श पी 28 जप्त किया गया। उक्त वाहन के मालिक रणसिंह को नोटिस अंतर्गत धारा 133 एमवी एक्ट प्रदर्श पी 29 दिया गया, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। उसी नोटिस पर सी से डी वाहन मालिक रणसिंह ने जवाब दिया कि दिनांक 17.09.15 को उसकी उक्त गाडी रजनीश पुत्र महेन्द्र सिंह निवासी बालाण चला रहा

था। उक्त जवाब शामिल पत्रावली किया गया। वाहन मालिक द्वारा पेश वाहन की आरसी, बीमा की फोटोप्रति क्रमशः प्रदर्श पी 30 व 31 को शामिल पत्रावली किया गया। दौराने अनुसंधान मालखाना की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी 32ए हासिल कर शामिल पत्रावली किये। असल मालखाना रजिस्टर वह साथ लाया है, जिसकी मद सं. 379 पर मुकदमा में जप्तशुदा वजह सबूत का इंद्राज है, जो प्रदर्श पी 32 है। संपूर्ण अनुसंधान से मुलजिमान रेवंत सिंह उर्फ मिठू सिंह पुत्र मालसिंह निवासी भोजाण व नवीन सिंह पुत्र रेवंत सिंह निवासी भोजाण तथा रजनीष पुत्र महेन्द्र सिंह निवासी बालाण के विरूद्ध जुर्म धारा 308, 365, 323, 325, 341, 148, 149 भा0दं0सं0 प्रमाणित पाये जाने पर चालान माननीय न्यायालय में पेश किया तथा मुकदमा में संलिप्त विधि से संधारित किशोरों के विरूद्ध चालान किशोर कोर्ट में पेश किये।

26- **आगे पी0डब्ल्यू 12 मदनलाल ने मुकदमा हाजा का वजह सबूत** न्यायालय में पेश कर यह साक्ष्य दी है कि एक सफेद कपडे की थैली सील्डशुदा मार्क ए जिसके मुंह पर पीएस हमीरवास की सील चपडी लगी हुई है, जिसके नीचे चिट दस्तख्ती कार्बन प्रति लगी हुई है। थैली के अंदर चिट दस्तख्ती की मूल प्रति व एक लाठी निकली। चिट दस्तख्ती मूल प्रदर्श पी 33 है, व कार्बन प्रति प्रदर्श पी 33ए है, जिन पर ए से बी, सी से डी गवाहान व ई से एफ आरोपी रेवंत सिंह व जी से एच उसके हस्ताक्षर है व एकस स्थान पर नमूना सील का अंकन है। लाठी आर्टिकल 1 है। एक सफेद कपडे की थैली सील्डाशुदा मार्क बी जिसके मुंह पर पीएस हमीरवास की सील चपडी लगी हुई है, जिसके नीचे चिट दस्तख्ती कार्बन प्रति लगी हुई है। थैली के अंदर चिट दस्तख्ती की मूल प्रति व एक लाठी निकली। चिट दस्तख्ती मूल प्रदर्श पी 34 है, व कार्बन प्रति प्रदर्श पी 34ए है, जिन पर ए से बी, सी से डी गवाहान व ई से एफ आरोपी नवीन सिंह व जी से एच उसके हस्ताक्षर है व एक्स स्थान पर नमूना सील का अंकन है। बरामदगी में प्रयुक्त सील की नमूना सील प्रदर्श पी 35 है। जिस पर ए से बी स्थान पर उसके हस्ताक्षर हे व एक्स स्थान पर नमूना सील का अंकन है। नवीन सिंह से जप्त लाठी आर्टिकल 2 है।

27- **प्रतिपरीक्षण** में गवाह ने कथन किया कि यह सही है कि उसने पत्रावली में पूर्ण अनुसंधान नहीं किया। **उसने चिकित्सक से प्रदर्शपी-15 में आई चोट सं. 1 से 4 की प्रकृति के संबंध में अलग से कोई राय नहीं मांगी, फिर कहा कि आहत संजय के लगी चोटों के संबंध में एक्सरे रिपोर्ट हासिल की गयी है। यह सही है कि प्रदर्शपी-16 में चोट सं. 1 से 4 की प्रकृति कुंदाला है या धारदार, इस संबंध में कुछ भी दर्ज नहीं है।** प्रदर्शपी-4 व 5 की बरामदगी

जिस स्थान से की गयी थी, वहां गेट नहीं लगा हुआ था। **मुलजिमान के अलावा परिवार के अन्य सदस्य बरामदगी स्थल पर आराम से आ-जा सकते हैं।** प्रदर्शपी-4 व 5 की बरामदगी घटना से करीब दो महिने बाद की थी।

28- इसके अतिरिक्त घटना के संबंध में कायम किये गये स्वतंत्र गवाह पी0डब्लू0-1 रामचंद्र, पी0डब्लू0-7 सहदेव, पी0डब्लू0-8 शक्ति सिंह, पी0डब्लू0-9 चंदगीराम, पी0डब्लू0-14 रणसिंह, पी0डब्लू0-15 दलवीर, पी0डब्लू0-16 नत्थू सिंह, पी0डब्लू0-17 रमेश सिंह **पक्षद्रोही घोषित** हुए हैं और उन्होंने घटना के बारे में पूर्णतया अनभिज्ञता जाहिर की है तथा उनके पुलिस बयान क्रमशः प्रदर्शपी-1, 10, 11, 12, 37, 38, 39, 40 से भी इंकारी दर्ज करवाई है।

Appreciation of Evidence

29- इस प्रकार अभियोजन पक्ष की उपरोक्त साक्ष्य का **ध्यानपूर्वक परिशीलन** करने से आहत संजय कुमार ने सर्वप्रथम जो पर्चा बयान प्रदर्शपी-8 दिनांक 18.09.15 को सतीजा अस्पताल हिसार में फूलचंद एएसआई को दर्ज करवाये थे, उसमें उसने यह कथन किया कि वह घरेलू कार्य से ठिगाना मण्डी गया हुआ था एवं ठिगाना मण्डी से मोटरसाइकिल के द्वारा उसके गांव वापिस आ रहा था। जब वह वक्त 03:30 बजे गुगलवा भोजाण के मध्य सडक आम पर पहुंचा तो सामने से एक बोलेरो डीआई गाडी बरंग सलेटी व एक बोलेरो पिकअप गाडी आई और उसके मोटरसाइकिल के आगे लगा दी। उसने उसकी मोटरसाइकिल रोकी तो दोनों गाडियों में से सानू राजपूत, लाली राजपूत, अजय निवासी बीराण, सानू का भतीजा व रेवंत सिंह उर्फ मिठ्ठू सिंह राजपूत, भोपाल सिंह राजपूत, नवीन राजपूत निवासी भोजाण तथा 3-4 अन्य नामालूम व्यक्ति गाडियों से नीचे उतरे। मिठ्ठू सिंह उर्फ रेवंत सिंह व लाली राजपूत ने उसके पिस्तौल लगा ली और उसे जबरदस्ती गाडी में डाल लिया एवं उसे जोहड ईधावल रोही भोजाण ले आये तथा उसे गाडी से नीचे उतार लिया। मिठ्ठू सिंह उर्फ रेवंत सिंह ने बर्छी की उसके दोनों हाथों पर चोट मारी एवं बाद में सभी सरियों, लाठी, कुल्हाडी से उसके चोटें मारने लगे। उसने छुडाओ-छुडाओ का रोला किया, तब उनके गांव की कुम्हारों की औरतें आई तो लाली ने उसके दाहिने पैर के उपर से गाडी का टायर निकाल दिया तथा उसके 44,000 रूपये एवं दो मोबाईल जिनमें एक कार्बन व एक इन्टेकस आदि ले गये। उसने उसके भाई राजेश को समाचार किया, तब राजेश गाडी लेकर आया एवं उसे ईलाज हेतु हिसार ले गया। उसके दोनों पैर व हाथों पर चोटें लगी हैं।

30- इस प्रकार उक्त आहत के द्वारा उसके पर्चा बयानों में यह तथ्य कहीं भी

दर्ज नहीं करवाया गया कि उसे इस ज्ञान व आशय के साथ कि उसका मानव वध कारित किया जाए, उस पर हमला किया गया। इसके अतिरिक्त उक्त आहत संजय ने पूरे पर्चा बयान में मौके पर किसी व्यक्ति का आना नहीं बताया है, मात्र कुम्हारों की औरतों का आना बताया है, जबकि प्रकरण में किसी कुम्हारों की औरतों से अनुसंधान अधिकारी द्वारा कोई अनुसंधान नहीं किया गया है। प्रकरण में मौके के गवाह रामचंद्र, रणसिंह, दलवीर, महावीर, शक्ति व सहदेव आदि बनाये गये हैं और उन्हीं के अनुसंधान के दौरान बयान लेखबद्ध किये गये हैं, जबकि उक्त सभी स्वतंत्र गवाह न्यायालय में हुई साक्ष्य में बतौर साक्षी क्रमशः पी0 ड 0-1, पी0 ड 0-14, पी0 ड 0-15, पी0 ड 0-9, पी0 ड 0-8, पी0 ड 0-7 पक्षद्रोही घोषित हुए हैं और उन्होंने आहत संजय के साथ किसी प्रकार की मारपीट होने के तथ्य से पूर्णतया इंकारी दर्ज करवाई है तथा उनके पुलिस बयानों से भी इंकारी दर्ज करवाई है।

31- आहत संजय कुमार के द्वारा दौराने अनुसंधान दिनांक 25.09.15 को धारा 161 सीआरपीसी के जो कथन (प्रदर्श-डी1) अनुसंधान अधिकारी को लेखबद्ध करवाये गये हैं, उसमें आहत ने काफी सुधार कर **सुधारात्मक प्रकृति** के कथन करते हुए यह तथ्य दर्ज करवाये हैं कि पहले उसके पीछे से एक बोलेरो स्लेटी रंग की आई तो उसने उसकी मोटरसाइकिल को सडक से उतार कर साईड में खडा कर लिया, फिर एक पिकअप बोलेरो ओर आ गई और उसकी मोटरसाइकिल के आगे खडी कर दी। जब सानू, लाली, अजय, मिठू उर्फ रेवंत, नवीन, भोपाल सिंह आदि उसके साथ मारपीट करने लगे तो **गांव का दलवीर पुत्र कर्मवीर वहां आ गया** और दूर से ही कहने लगा कि इसे क्यों मार रहे हो तो मिठू सानू को कहने लगा कि यहां रोड पर मारना ठीक नहीं है, इसे हिंदावल जोहडी में ले चलो तथा वे दलवीर की तरफ मारने को दौडे तो वह उसकी मोटरसाइकिल लेकर वहां से भाग गया। इसके बाद लाली ने उसकी कनपटी पर पिस्तौल तान दी और उसे गाडी में बैठाकर हिंदावल जोहडी ले गये, जहां नवीन ने उसके हाथ पर हॉकी की मारी। इतने में सानू के पास किसी का फोन आया। फिर मिठू ने उसके हाथ पर बर्छी तथा सानू ने उसके लोहे की रॉड की मारी तथा लाली ने उसके पैर के उपर से बोलेरो का टायर चढा दिया। मिठू उसकी छाती पर बैठ गया तथा उसकी जेब से 44,000 रूपये तथा दो मोबाइल फोन निकाल लिये। तभी वहां महावीर व रामचंद्र आ गये तो वे सभी गाडियों में वहां से भाग गये। किसी व्यक्ति ने उसके भाई राजेश से बात करवाई, तब उसका भाई राजेश व पिता जचचंद गाडी लेकर आये और उसे हिसार अस्पताल में ईलाज हेतु लेकर आये।

32- इस प्रकार उक्त गवाह ने **पर्चा बयान प्रदर्शपी-8 से काफी**

सुधारात्मक प्रकृति के कथन करते हुए अनुसंधान अधिकारी को उसके इन बयानों अर्थात प्रदर्श-डी1 दर्ज करवाये, जिसमें दलवीर का मौके पर आना, नवीन के द्वारा उसके साथ हॉकी से मारपीट करना तथा मौके पर महावीर व रामचंद्र के आने का नवीन तथ्य अंकित करवाये हैं, जो उसके मूल पर्चा बयान प्रदर्शपी-8 में नहीं थे। वहीं न्यायालय में जब यह गवाह संजय पी0ड0-3 के रूप में परीक्षित हुआ तो उसने यह कथन किया कि जब दिनांक 17.09.15 को वह गुगलवा और भोजाण के बीच पहुंचा तो सामने से स्लेटी रंग की बोलेरो आई और उसकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। जबकि पर्चा बयान प्रदर्शपी-8 और अनुसंधान अधिकारी को दर्ज करवाये गये धारा 161 सीआरपीसी के बयान प्रदर्श-डी1 में सामने से बोलेरो आने का कोई अंकन नहीं है बल्कि प्रदर्श-डी1 बयान में यह गवाह पीछे से बोलेरो स्लेटी रंग का आना बताता है और उसके बाद एक दूसरी बोलेरो पिकअप का आना बताता है, जबकि न्यायालय में हुए कथनों में इस गवाह ने मात्र एक गाडी का ही मौके पर आना बताया है।

33- गवाह ने आगे यह कथन किया है कि वह सडक पर गिर गया। नीचे गिरते ही बोलेरो में से सानू, लाली, मिठू, नवीन, भोपाल सिंह व 3-4 अन्य व्यक्ति नीचे उतरे। लाली ने उसकी कनपटी पर पिस्तौल लगाया व सानू ने पीछे से रॉड से हमला किया। मिठू ने बरछी से उसके हाथ पर हमला किया और उसे पीटने लगे। जब आस-पास के खेतों के लोग आ गये तो उन्होंने उसे जबरदस्ती जान से मारने की नियत से गाडी में डाल लिया और हिंदावल जोहडी ले गये। गवाह ने पूर्व में मिठू के द्वारा बरछी से चोट मारने के कथन हिंदावल जोहडी में ले जाकर करने बाबत किये हैं, जबकि न्यायालय में हुए कथनों में मौके पर मिठू के द्वारा बरछी से हमला करने का कथन किया है, जो पूर्णतया विरोधाभासी है।

34- आगे गवाह ने यह भी कथन किया है कि लाली ने उसके पैरों पर गाडी का टायर चढा कर खडी कर दी तथा उक्त लोगों ने उसे जान से मारने की नियत से उस पर हमला कर दिया एवं उसके दोनों हाथ व पैर फ्रैक्चर कर दिये। मौके पर उसके चाचा व गांव के खेतों के आस-पास के लोग आये तो वे उसे छोडकर भाग गये। इस गवाह ने मौके पर पर्चा बयान प्रदर्शपी-8 और पुलिस बयान प्रदर्श-डी1 में वर्णितानुसार दलवीर या कुम्हारों की औरतों के आने बाबत कोई साक्ष्य नहीं दी है। **प्रतिपरीक्षण** में इस गवाह ने कथन किया है कि उसके सिर में कोई चोट नहीं लगी बल्कि उसके पैरों में चोट लगी थी। दलवीर उसके परिवार में भाई लगता है। **जब पहली बार मोटरसाइकिल से पटका तो दलवीर वहां था परंतु दलवीर नाम का गवाह जो पी0ड0-15 के रूप में न्यायालय में परीक्षित हुआ**

है, वह अभियोजन कहानी का कोई समर्थन नहीं करता है और वह उसके द्वारा किसी प्रकार की कोई घटना नहीं देखने का कथन करता है। ऐसे में गुगलवा से भोजाण के बीच वाले रास्ते से आहत संजय को उठाकर ले जाने का तथ्य संदेहास्पद प्रकट आता है क्योंकि उस स्थान पर यदि दलवीर आ गया था तो दलवीर ऐसे कथनों की पुष्टि अवश्य करता परंतु उसने ऐसा कोई कथन उसके बयानों में नहीं किया है, जिससे नक्शामौका मार्क 'ए' प्रदर्शपी-36 व हालातमौक प्रदर्शपी-36 ए भी साबित नहीं होता है, जो अनुसंधान अधिकारी द्वारा दलवीर की निशानदेही से बनाना बताया गया है।

35- वहीं आहत का भाई पी0ड0-4 राजेश व पिता पी0ड0-5 जयचंद के रूप में न्यायालय में परीक्षित हुए हैं, जिसमें से राजेश ने उसके पास दलवीर का फोन आना बताया और उसने यह बताया कि भोजाण के रास्ते पर संजय को लाली, रेवंत, नवीन, भोपाल सिंह, सानू व 5-6 व्यक्ति गाडी में डालकर हिंदावल जोहडी की तरफ ले गये हैं। फिर उसके पास किसी अज्ञात नंबर से फोन आया कि वह संजय बोल रहा है, जिसे हिंदावल जोहडी के पास मारपीट कर डाल गये हैं। प्रतिपरीक्षण में गवाह पी0ड0-4 राजेश ने यह स्पष्ट कथन किया है कि उसने संजय के साथ ना तो किसी को मारपीट करते हुए देखा और ना ही उसे उठाकर ले जाते हुए देखा। दलवीर के फोन आने के आधे घंटे बाद वे संजय के पास मौका पर पहुंच गये थे।

36- वहीं साक्षी पी0ड0-5 जयंचद ने उसके बडे लडके राजेश के कथनों के आधार पर भरीण्ड व भोजाण के बीच से संजय को उठाकर हिंदावल जोहडी में ले जाना और वहां उसके साथ रेवंत, नवीन, भोपाल सिंह, सोनू, लाली के द्वारा मारपीट करने की बात बताने का कथन किया है परंतु प्रतिपरीक्षण में गवाह ने यही कथन किया है कि जैसे ही उसके लडके राजेश ने घटना के बारे में बताया तो वे 15-20 में वहां पहुंच गये थे लेकिन वहां कोई व्यक्ति नहीं था। संजय ने उसे बताया कि नवीन के पास बरछी तथा अन्य के पास लोहे के सरिये थे। उसके पैरों पर गाडी चढा दी तथा सानू ने उसके पैर उपर करके झटका मारा एवं उसके पैर तोड दिये।

37- इसके अतिरिक्त साक्षी पी0ड0-6 महावीर पुत्र लालचंद जिसका उल्लेख पर्चा बयान प्रदर्शपी-8 में नहीं है परंतु उसे मौके का गवाह बताया गया है तो वह मात्र यही कथन करता है कि जब शोर सुनकर जोहडी की तरफ गया तो वहां दो गाडियां खडी थी। नवीन, रेवंत, भोपाल सिंह, लाली आदि संजय के साथ हॉकी व लकडियों से मार रहे थे। वह पास गया तो वे लोग भाग गये। इस प्रकार यह गवाह **आहत संजय के साथ मात्र अभियुक्तगण द्वारा मारपीट करने संबंधी ही कथन न्यायालय में दर्ज करवाता है।** प्रतिपरीक्षण में गवाह ने स्पष्ट कथन किया है कि

उसने किसी के हाथ में पिस्तौल नहीं देखी। जैसे ही वह मौके पर पहुंचा तो वे लोग गाडियों में बैठकर वहां से भाग गये। ऐसे में अभियुक्तगण के द्वारा संजय का सदोष परिरोध करते हुए उसका अपहरण करने के आशय से उसे बोलेरो गाडी में डाला गया हो, यह तथ्य साबित नहीं होता है।

38- **जहां तक अभियुक्तगण रेवंत सिंह व नवीन सिंह के द्वारा लाठी व अन्य हथियारों से सुसज्जित होकर बल व हिंसा कारित करने का प्रश्न है** तो इस प्रकरण में साक्षी पी0ड0-2 मुकेश व पी0ड0-19 महिपाल की साक्ष्य से अभियुक्तगण की गिरफतारी के बाद उनके द्वारा दी गई सूचना क्रमशः प्रदर्शपी-25 व 26 से उनके बतायेनुसार उनकी निशानदेही से दो लाठी प्रकरण में अवश्य बरामद हुई है, जिससे मौके पर उक्त दोनों अभियुक्तगण द्वारा लाठी रखने का तथ्य प्रकट हो रहा है। हालांकि उक्त लाठियों को किसी प्रकार से एफएसएल में जांच हेतु प्रेषित नहीं किया गया है परंतु आहत संजय के जो चोटें आई है, उसके संबंध में साक्षी **पी0ड0-11 डॉ नीरज सतीजा** ने उसके द्वारा बनाई गई **मेडिको लीगल रिपोर्ट प्रदर्शपी-15** में आहत के दोनों हाथों व पैरों की हडिडयों का **अस्थि भंग** होना बताया है, जो लाठियों से आना संभव है। हालांकि प्रतिपरीक्षण में इस गवाह ने कथन किया है कि एक्स-रे प्लेट प्रदर्शपी-17 से 20 उसने तैयार नहीं की है परंतु उसके निर्देशन में उसके स्टाफ द्वारा तैयार की गयी है और वह ऑर्थोपैडिक सर्जन है अर्थात यह चिकित्सक हड्डियों के मामले में विशेषज्ञ है तथा उसने एम.एल.सी रिपोर्ट प्रदर्शपी-15 के आधार पर एक्स-रे प्लेट प्रदर्शपी-17 से 20 तैयार करवाई है। जिसके अनुसार आहत संजय के दोनों हाथों व पैरों पर फ्रैक्चर था, जो गंभीर प्रकृति की चोट धारा 322 भा0दं0सं0 के अनुसार अस्थि भंग की श्रेणी में आने के कारण गंभीर प्रकृति की ही प्रकट आती है। इस कारण उक्त चिकित्सक के स्वयं ही ऑर्थोपैडिक सर्जन होने से व एक्स-रे रिपोर्ट उसके निर्देशन में तैयार करवाये जाने से रेडियोग्राफर के परीक्षित नहीं होने से कोई विपरीत प्रभाव कारित नहीं होता है।

39- **जहां तक अभियुक्तगण का कोई ज्ञान व आशय आहत संजय की मृत्यु/आपराधिक मानव वध कारित करने का रहा हो**, इस बाबत साक्ष्य का परिशीलन करने से पत्रावली पर अभियोजन की ऐसी कोई साक्ष्य नहीं है क्योंकि परिवादी पक्ष की अभियुक्तगण के साथ उसकी कोई पुरानी रंजिश हो, ऐसा कोई तथ्य न्यायालय के समक्ष प्रकट नहीं किया गया है। अभियुक्तगण का इस संबंध में कोई Motive भी रहा हो, ऐसा भी कोई तथ्य संपूर्ण अनुसंधान के दौरान पत्रावली पर प्रकट नहीं हुआ है बल्कि आहत के इस संबंध में पर्चा बयान, धारा 161 सीआरपीसी के बयान तथा न्यायालय में हुई साक्ष्य के दौरान काफी सुधारात्मक

प्रकृति के रहे हैं, जो आपस में विरोधाभासी हैं।

40- जहां तक आहत संजय के द्वारा अभियुक्त रेवंत सिंह उर्फ मिठू द्वारा उसके हाथ पर बरछी का प्रयोग कर चोट मारने का तथ्य प्रकट किया गया है तो चिकित्सकीय साक्षी पी0ड0-11 डॉ नीरज सतीजा की साक्ष्य में ऐसा कोई कथन नहीं आया है कि संजय के साथ किसी धारदार हथियार से मारपीट कर चोट कारित की गयी हो। अनुसंधान के दौरान भी अभियुक्त रेवंत सिंह की सूचना पर कोई बरछी बरामद नहीं हुई है और ना ही कोई लोहे का सरिया बरामद हुआ है, मात्र एक लाठी की बरामदगी दर्शित की गयी है। ऐसे में मात्र कुंद हथियार से मारपीट करना और आहत संजय के साधारण/गंभीर चोटें कारित होने का तथ्य ही प्रमाणित होता है, जिस संबंध में अनुसंधान अधिकारी पी०ड०-12 मदनलाल के द्वारा भी यही साक्ष्य दी गयी है कि अभियुक्त रेवंत सिंह उर्फ मिठू की सूचना प्रदर्शपी-25 के आधार पर उससे एक लाठी की बरामदगी जरिये प्रदर्शपी-4 की गयी है।

41- ऐसे में उपरोक्त समग्र विवेचन के आधार पर न्यायालय के विनम्र मत में अभियोजन पक्ष अपना मामला अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 365/149, 308/149 भा0दं0सं0 के आरोपित अपराध ही हद तक प्रमाणित करने में पूर्णतया **असफल** रहा है और यह भी साबित करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण ने सामान्य उद्येश्य के अग्रसरण में आहत संजय को गुगलवा-भोजाण के मध्य से जबरदस्ती बोलेरो पिकअप गाडी सं. एचआर 18ए 1652 में डालकर उसका अपहरण किया एवं प्रार्थी संजय के साथ इस ज्ञान या आशय से मारपीट कर व उसके दाहिने पैर के उपर से गाडी का टायर निकाल कर ऐसी परिस्थितियों में गंभीर चोटें कारित की, जिससे यदि संजय की मृत्यु हो जाती तो अभियुक्तगण हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध के दोषी होते।

42- वहीं अभियोजन पक्ष उसका मामला अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 148, 341, 323/149, 325/149 भा0दं0सं0 के आरोपित अपराध की हद तक साबित करने में **पूर्णतया सफल** रहा है और यह भी साबित करने में सफल रहा है कि दिनांक 17.09.15 को वक्त 03.30 बजे के आस-पास हिंदावल जोहडी में अभियुक्तगण ने सहअभियुक्त के साथ मिलकर लाठियों को हाथ में रखकर बल व हिंसा का प्रयोग करते हुए संजय के साथ बलवा कारित किया और उसका सदोष अवरोध कर उसके साथ लाठियों से उसके विरूद्ध विधि विरूद्ध जमाव के उद्येश्य के अग्रसरण में मारपीट कर आहत के दोनों हाथों व पैरों पर साधारण व गंभीर उपहतियां कारित की।

43- अतः अभियुक्तगण रेवंत सिंह उर्फ मिठू सिंह व नवीन सिंह आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 365/149, 308/149 भा0दं0सं0 से संदेह का लाभ देकर

दोषमुक्त किये जाने योग्य पाये जाते हैं परन्तु उक्त दोनों अभियुक्तगण को आरोपित अपराध धारा 148, 341, 323/149, 325/149 भा0दं0सं0 में दोषसिद्ध किया जाना सर्वथा न्यायोचित है।

<u>- आदेश -</u>

44- अतः अभियुक्तगण **रेवंत सिंह उर्फ मिट्ठू सिंह** पुत्र मालसिंह राजपूत उम्र 53 साल निवासी बालाण पुलिस थाना हमीरवास जिला चूरू व **नवीन सिंह** पुत्र रेवंत सिंह राजपूत उम्र 31 साल निवासी बालाण पुलिस थाना हमीरवास जिला चूरू को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 365/149, 308/149 भा0दं0सं0 से संदेह का लाभ देकर **दोषमुक्त** घोषित किया जाता है।

वहीं उक्त दोनों अभियुक्तगण को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 148, 341, 323/149, 325/149 भा0दं0सं0 में **दोषसिद्ध** घोषित किया जाता है।

(लतिका दीपक पाराशर)
अपर सेशन न्यायाधीश
क्रम-2 राजगढ जिला चूरू

<u>सजा के प्रश्न पर</u>

45- सजा के प्रश्न पर दोनों पक्षों को सुना गया। अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अभियुक्तगण के विरूद्ध 148, 341, 323/149, 325/149 भा0दं0सं0 का अपराध साबित हुआ है। वे वर्ष 2016 से अन्वीक्षा भुगत रहे हैं और उनके विरूद्ध कोई पूर्व दोषसिद्धि को साबित भी नहीं किया गया है। अभियुक्तगण उनके परिवार में अकेले कमाने वाले व्यक्ति हैं तथा दोनों ही के साथ अब परिवादी द्वारा जानलेवा मारपीट की गयी है, जो दोनों ईलाजरत होकर चलने-फिरने की स्थिति में भी नहीं है, इसलिए उन्हें परीवीक्षा का लाभ दिया जावे। इसके विपरीत विद्वान अपर लोक अभियोजक ने इसका विरोध करते हुए तर्क दिया है कि अभियुक्तगण के विरूद्ध गंभीर प्रकृति के अपराध का आरोप है, इसलिए उन्हें कारावास से दंडित किया जावे।

46- उभय पक्ष के तर्कों, तथ्यों पर मनन किया गया। पत्रावली व संबंधित विधि का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट हो रहा है कि अभियुक्तगण के विरूद्ध परिवादी संजय के साथ हिंदावल जोहडी में सहअभियुक्त के साथ मिलकर लाठियों को हाथ में रखकर बल व हिंसा का प्रयोग

करते हुए संजय के साथ बलवा कारित करने एवं उसका सदोष अवरोध कर उसके साथ लाठियों से उसके विरूद्ध विधि विरूद्ध जमाव के उद्येश्य के अग्रसरण में मारपीट कर आहत के दोनों हाथों व पैरों पर साधारण व गंभीर उपहतियां कारित करने का अपराध साबित हुआ है। उक्त अपराध कोई आजीवन कारावास या मृत्युदण्ड से दण्डनीय अपराध नहीं है तथा अभियुक्तगण वर्ष 2016 से अन्वीक्षा भुगत रहे हैं। उनके विरूद्ध कोई पूर्व दोषसिद्धि पत्रावली पर नहीं है और ना ही धारा 298 दं0प्र0सं0 में वर्णित रीति से अभियुक्तगण के विरूद्ध कोई पूर्व दोषसिद्धि साबित की गई है। ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण की वर्तमान हालत एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्तगण को परीविक्षा का लाभ दिया जाना सर्वथा न्यायोचित है।

- दण्डादेश -

47- अतः अभियुक्तगण **रेवंत सिंह उर्फ मिठू सिंह** पुत्र मालसिंह राजपूत उम्र 53 साल निवासी बालाण पुलिस थाना हमीरवास जिला चूरू व **नवीन सिंह** पुत्र रेवंत सिंह राजपूत उम्र 31 साल निवासी बालाण पुलिस थाना हमीरवास जिला चूरू को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 148, 341, 323/149, 325/149 भा0दं0सं0 में **दोषसिद्ध घोषित** किये जाने पर उन्हें तुरंत कारावास से दंडित नहीं कर परीविक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाता है।

48- अतः आदेश दिया जाता है कि यदि प्रत्येक अभियुक्त इस न्यायालय के संतोषप्रद धारा 4 परीविक्षा अधिनियम के तहत छः माह की अवधि के परीविक्षा काल के लिए 20,000 रूपये का निजी मुचलका और 20,000 रूपये की जमानत इस आशय की प्रस्तुत कर तस्दीक करवाये कि- वह उक्त अवधि के दौरान परिशांति एवं सदाचार बनाये रखेगा, अपराध की पुनरावृति नहीं करेगा और जब भी न्यायालय द्वारा उसे आहूत किया जाएगा तो वह न्यायालय में उपस्थित हो जाएगा तो उसे धारा 4 परीविक्षा अधिनियम के तहत परीविक्षा पर छोड दिया जावे। साथ ही **प्रत्येक अभियुक्त** को आदेश दिया जाता है कि वह इस न्यायालय में धारा 5 परीवीक्षा अधिनियम के तहत 7,000 रूपये (अक्षरे सात हजार रूपये) बतौर कार्यवाही व्यय जमा करवायेगा। जो कुल राशि 14,000/- रूपये परिवादी संजय को बाद गुजरने मियाद अपील बतौर क्षतिपूर्ति अदा की जाएगी।

49- अभियुक्तगण के नियमित हाजरी बाबत प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं। वहीं प्रकरण में अभियुक्त **रजनीश मफरूर** है, इसलिए पत्रावली का कोई भी भाग या हिस्सा नष्ट नहीं किया जावे। इस बाबत पत्रावली के

मुख्य पृष्ठ पर लाल स्याही से नोट अंकित किया जावे।

(**लतिका दीपक पाराशर**)
अपर सेशन न्यायाधीश
क्रम-2 राजगढ जिला चूरू

50- निर्णय आज दिनांक 07.12.2024 को लिखाया जाकर विवृत न्यायालय में सुनाया गया।

(**लतिका दीपक पाराशर**)
अपर सेशन न्यायाधीश
क्रम-2 राजगढ जिला चूरू